


आपकी दि

वेर है.

19/01/2023

पत्रावली पेश हुई। साक्ष्य प्रतिकारी को
 गवाह धारित नहीं। वकील पक्षकारम् /
 वकील कारी धारित नहीं आये हैं। आज
 न्यायालय में पृथक-पृथक पर नीज-नीज
 कार आवाजे लगावये जाते पर भी
 उपास्थित नहीं आये पर पत्रावली अंतर्गत
 आदेश 9 नियम 3 जाफा शिवाजी के
 तहत एलकुद्वारा रकारिज की जाती है।
 पत्रावली फैसल सुमार की जाकर
 नंबर से कम की जाकर बाद लकमालि
 काखिल हफ्तर है। निर्णय खुले
 न्यायालय में सुनाया जाकर नंबर
 एस्ताकर व न्यायालय सुना से जारी
 किया जाता है।


 सहायक क्लेक्टर
 रांभर लोक (जयपुर)